I/132910/2023

ई पत्र संख्या– 36254/XV-I/23/7(14)22

प्रेषक,

डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनॉक 26 जून, 2023।

विषय : निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में निराश्रित गोवंश की संख्या में निरन्तर वृद्धि के दृष्टिगत जहॉ एक तरफ उनकी सडक दुर्धटना की संख्या में वृद्धि हो रही है, वही दूसरी ओर विभिन्न शहरों में यातायात अवरोध की स्थिति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फसल क्षति की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त कतिपय विभागों द्वारा गोवंश हेतु दी जाने वाली अनुदान की सहायता धनराशि में भी अन्तर है। वर्तमान में जहॉ एक तरफ पशुपालन विभाग द्वारा गोसदनों को प्रति गोवंश प्रतिदिन रू0 30/– का अनुदान भरण–पोषण हेतु प्रदान किया जा रहा है वही शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कतिपय निकायों द्वारा रू0 50/– प्रति गोवंश प्रतिदिन तथा कुछ निकायों द्वारा रू0 80/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण–पोषण अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

अतः उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत निराश्रित/बेसहारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने, आश्रय स्थल पर उनके भरण–पोषण की व्यवस्था/संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था, विभिन्न नर गोवंश के बन्ध्याकरण तथा संरक्षित मादा गोवंश को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वास्थ्यकर पर्यावरणीय दशाएं तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु गोसदनों की स्थापना, संचालन तथा उनके आवश्यक वित्तीय प्रबन्धन हेतु निम्नवत् प्रावधान निर्धारित किया जाता हैः–

1. उत्तराखण्ड राज्य में गोसदनों में विद्यमान निराश्रित गोवंशीय पशुओं की संख्या को सम्मिलित करते हुए शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण कर रहे गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु निर्धारित रू 30 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से दी जा रही धनराशि को बढ़ाकर रू0 80 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जायेगा।
2. गोसदनों की स्थापना हेतु एन0जी0ओ0 को मात्र प्रबंधकीय कार्यो हेतु भूमि दिये जाने की अधिकारिता संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को होगी। गोसदनों के संचालन के लिए एन0जी0ओ0 मॉडल अपनाया जायेगा। इस सम्बन्ध में इस क्षेत्र में पूर्व से ही कार्य कर रहे

एन0जी0ओ0 को वरीयता दी जायेगी तथा यदि उनके स्तर पर समाधान नहीं हो पाता है तो नये एन0जी0ओ0 के माध्यम से गोसदनों के संचालन की कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी एन0जी0ओ0 के पास पूर्व से भूमि उपलब्ध होगी तो उस पर निर्माण हेतु धनराशि की कमी होने पर राज्य सरकार निर्माण कार्य हेतु व्यय (Gap Funding) धनराशि वहन करेगी। गोसदन स्थापित किये जाने हेतु चिन्हित भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा, मात्र प्रबंधकीय कार्यो हेतु यथानिर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उपयुक्त एन0जी0ओ0 से एमओयू/अनुबन्ध किया जायेगा।

3. निराश्रित गोवंश को भरण–पोषण हेतु दिये जाने वाले अनुदान के लिए पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा तथापि इस निमित्त बजट व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों से पकड़े गये गोवंश के निमित्त शहरी विकास विभाग के आय–व्ययक में तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़े जाने वाले गोवंश हेतु पशुपालन विभाग के आय–व्ययक में बजट प्राविधान कराया जायेगा। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत इस हेतु प्राविधानित अनुदान तथा आबकारी विभाग के अन्तर्गत सेस के माध्यम से प्राप्त धनराशि को पशुपालन विभाग द्वारा व्यय किया जायेगा। उक्त अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जायेगा।
4. पशुपालन विभाग के अन्तर्गत उक्त कार्यो को पूर्व से कर रहे 'उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड' को और सशक्त किया जायेगा। इस हेतु इसके अन्तर्गत एक पी0एम0यू0 स्थापित करते हुए युवा पेशेवरों के चार पद सृजित कर उनकी भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की जायेगी।
5. गोसदनों के पूँजीगत निर्माण कार्यो के निमित्त Gap Funding हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी के नेतृत्व में शहरी विकास विभाग, नाबार्ड, जिला माइनिंग फण्ड तथा अनटाईड फण्ड आदि के माध्यम से बजट व्यवस्था की जायेगी।
6. समस्त नगरीय निकाय नगरीय परिधि से बाहर भी गोसदनो हेतु आवश्यक अनुदान/सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। नगरीय तथा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश को पकड़ कर गोसदनों में पहुँचाने हेतु निकायो के स्तर पर हाईड्रोलिक वाहन/Cattle Lifting Vehicle की व्यवस्था की जायेगी।

2. उक्त के क्रम में गोसदनों के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु शासनादेश संख्याः 1337 दिनांक 26 सितम्बर, 2022 के अनुरूप गठित की गयी विभिन्न स्तर की समितियों द्वारा निम्न दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :–

1– शासन स्तरीय समिति

क्र०	अधिकारी का नाम	पदनाम

I/132910/2023

1	अपर मुख्य सचिव/सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3	सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड/ पदेन सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड	सदस्य सचिव

कार्य एवं दायित्व –

1. जनपद स्तरीय समितियों की समीक्षा एवं दिशा–निर्देशन।
2. जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयनित किये गये गोसदनों का अनुमोदन।
3. जिलाधिकारी के द्वारा प्रेषित बजट मांग के सापेक्ष, सक्षम स्तर से बजट अवमुक्त कराया जाना।

2– जनपद स्तरीय समिति

क्र०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
4	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
5	समस्त उपजिलाधिकारी	सदस्य
6	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	तकनीकी सदस्य
7	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
8	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
9	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य

कार्य एवं दायित्व –

1. निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गौशाला शरणालयों की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हीकरण।
2. जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए निराश्रित गोवंशीय पशुओं की पशुगणना।
3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के आवेदन प्रकरणों का परीक्षण।
4. परीक्षणोपरान्त अनुमोदन हेतु गोसदनों के आवेदन शासन स्तर पर प्रेषण।
5. Gap Funding हेतु धनराशि आबंटन (स्रोतः– शहरी विकास विभाग, नाबार्ड, जिला माइनिग फण्ड, Untied Fund, CSR आदि)
6. चिन्हाकित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना के लिये आंगणन तैयार करवाकर शासन को बजट मांग का प्रेषण।

7. निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना एवं संचालन की जनपद स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा।

3– विकासखण्ड स्तरीय समिति

क्र०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1	सदस्य
4	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

कार्य एवं दायित्व –

1. निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना के लिये भूमि का चिन्हीकरण उपरान्त, जिलाधिकारी स्तर पर अनुमोदनार्थ प्रस्तावों पर संस्तुति।
2. गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का संकलन एवं परीक्षण।
3. परीक्षणोपरान्त गैरसरकारी संस्था के आवेदन परीक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति को संस्तुति सहित प्रेषण।
4. जिलाधिकारी स्तर पर बजट मांग का प्रस्ताव प्रेषण।
5. क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के मासिक निरीक्षण की समीक्षा।

मानक संचालन प्रक्रिया

Step 1– **अलाभकर निराश्रित गोवंश की गणना** – जिला प्रशासन/ शहरी विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ पशुपालन विभाग के समन्वयन से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकार गोवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण।

Step 2 – **भूमि का चिन्हांकन** – जिला प्रशासन द्वारा निराश्रित अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना के लिये जनपद अन्तर्गत भूमि का चिन्हीकरण।

Step 3 – मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं एवं नवीन गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा चिन्हांकित भूमि पर निराश्रित अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गोसदन स्थापना हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आमंत्रण (Invitation of Expression of Interest for Establishment of Gaushala Shelter for Uneconomic Homeless Cattle)।

Step 4 – गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा प्रेषित अभिरूचि की अभिव्यक्ति का निस्तारण **(Processing of Expression of Interest)** :–

I/132910/2023

Category I- सरकारी भूमि पर, पूर्व से कार्यरत गैरसरकारी मान्यताप्रदत्त संस्था द्वारा संचालित गोसदनों को भूमि का आबंटन।

(क) पूर्व से संचालित गोसदन का क्षमता विस्तार।

(ख) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हांकित नवीन भूमि पर गोसदन की स्थापना।

मानक –

- भूमि/गोसदन परिसर का सशर्त उपयोग।
- चयनित गोसदन द्वारा गोंवश के उचित भरण–पोशण/देख–रेख एवं प्रबन्धन हेतु राजकीय अनुदान के अतिरिक्त अवशेष व्ययों का निर्वहन, स्वयं के संसाधनों द्वारा किये जाने के क्रम में शपथपत्र।
- उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अनुपालन के क्रम में में संकल्पबद्धता का शपथपत्र।

Category II- नवीन गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से गोसदन का संचालन :–

अलाभकर गोवंश (बृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक, निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गो तस्करों से जब्त किये गये न्यायायिक प्रकरणाधीन केस प्रोपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा 'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007' के प्राविधानों के आलोक में नवीन आवेदक संस्था हेतु, पूर्व से संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों हेतु निर्धारित मानको को सम्मिलित करते हुए निम्न शर्तो के आधार पर गोवंश संरक्षण हेतु भूमि उपयोग की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है :–

- निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन।
- गो सदनों की स्थापना हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के निम्न आवेदन स्वीकार होंगे जोकि :–

(क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा

(ख) अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धमार्थ संस्था हो अथवा

(ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पंजीकृत संस्था हो अथवा

(घ) कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हों।

- आवेदक संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख भरण पोषण हेतु, राजकीय आंशिक सहायता/भरण–पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं बचनबद्ध हो।

Category III- शहरी विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग/ वन विभाग के अन्तर्गत निकायों (नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों/जिला पंचायतों/ग्राम पंचायतों/वन पंचायतों) द्वारा पूर्व से संचालित किये जा रहे कांजी हाउस/गोशाला शरणालयों को, पंजीकृत एवं राजकीय मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालन :–

शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/वन विभाग के अन्तर्गत निकायों (नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों/जिला पंचायतों/ग्राम पंचायतों/वन पंचायतों) द्वारा पूर्णतः स्वयं के संसाधनों (शतप्रतिशत वित्त पोषण/कार्मिकों की नियुक्ति) से कांजी हाउस/गोशाला शरणालयों के संचालन किये जाने की अपेक्षा यह कार्य, यथासम्भव पंजीकृत एवं राजकीय मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना उचित होगा। इस क्रम में निम्न शर्तो के अनुरूप गैरसरकारी संस्थाओं का चयन किया जायेगा :–

- गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व से संचालित कांजी हाउस/गोशाला शरणालय संचालन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन।
- जिला स्तरीय समिति के साथ समन्वय बनाते हुए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/ समीक्षा एवं अनुशंसा।
- अर्हताऐं पूर्ण करने उपरान्त गोसदन संचालन हेतु गैरसरकारी संस्था का चयन।
- गैरसरकारी संस्था के साथ गोसदन संचालन हेतु अनुबन्ध।
- क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के मासिक निरीक्षण की समीक्षा।

Category IV- निजी भूमि पर पूर्व से संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों का सुदृढीकरण –

- आवेदक द्वारा स्वंय की भूमि पर संचालित गोसदन।
- आवेदक द्वारा दान से प्राप्त भूमि पर संचालित गोसदन।
- आवेदक द्वारा न्यूनतम 10 वर्षो के लिए लीज/किराये पर ली गयी भूमि पर संचालित गोसदन।
- आवेदक द्वारा पूर्व से संचालित गोसदन पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर गोसदन में

शरणागत निराश्रित गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप गोसदन के क्षमता विस्तार के क्रम में निर्माण हेतु आंगणन तैयार कर जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रेषित करना।

Step 5 – जिला स्तरीय समिति द्वारा किसी भी सरकारी संस्था को गोशाला निर्माण हेतु कार्य का आबंटन।

- गोसदन निर्माण हेतु सरकारी संस्था के माध्यम से आंगणन तैयार कराया जाना।
- आंगणन के आधार पर शासन को बजट अवमुक्त हेतु प्रस्ताव प्रेषण।
- समय–समय पर गोशाला निर्माण कार्य का विकासखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से निरीक्षण कराना।
- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त सरकारी संस्था से सदुपयोग किये गये बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

<u>गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से गोसदन संचालन के क्रम में आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु मानक :–</u>

- समस्त आवेदक संस्था, उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तद्क्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
- संस्था के प्रस्तावानुरूप निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।
- आवेदक संस्था द्वारा गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्य होगी।
- मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का समायोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक संस्था द्वारा गोवंश के उचित भरण–पोषण/देख–रेख एवं प्रबन्धन तथा अन्य समस्त व्ययों को अनुदान में दी गयी राजकीय सहायता से अतिरिक्त व्यय होने पर गोसदन स्वयं के संसाधनों से अथवा धमार्थ/दान के माध्यम से निर्वहन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदत्त पशुकल्याण संस्था से रू० 100/- के अनुबन्ध पत्र में यह लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग गोसदन द्वारा निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण/प्रबन्धन हेतु ही सदुपयोग किया जायेगा।
- शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था का किसी भी समय में निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
- गेवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड

शासन/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय द्वारा आवेदक संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आबंटन निरस्त कर गोवंश का प्रबंधन/भू अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु सक्षम होगा। ऐसी दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

- मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग/जिला पंचायत के माध्यम से विस्थापित किया जायेगा।

- गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।

- जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

<u>जिला प्रशासन/राज्य सरकार स्तर से नवीन गोसदन शरणालय स्थापना किये जाने हेतु चरणबद्व प्रकिया</u>

क0सं0	कार्यो का विवरण	कार्यदायी अधिकारी	समयावधि
प्रथम चरण	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विचरण कर रहें निराश्रित अलाभकार गोवंश की गणना हेतु सर्वेक्षण	• जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति किए गये अधिकारी • नगर आयुक्त,/अधिशासी अधिकारी • अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत • जिला विकास अधिकारी • जिला पंचायतीराज अधिकारी • सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	दिनांक 15 जून, 2023 से दिनांक 30 जून, 2023 तक।
द्वितीय चरण	नवीन गोसदन शरणालय स्थापना किये जाने हेतु भूमि का चिन्हीकरण	• जिलाधिकारी • उपजिलाधिकारी	दिनांक 30 जून, 2023 से दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक।
तृतीय चरण	गोसदन संचालन किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से गैर–सरकारी संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करना	• जिलाधिकारी • मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	दिनांक 15 जुलाई,, 2023 से दिनांक 30जुलाई, 2023 तक।
चतुर्थ	चिन्हांकित भूमि को गैर सरकारी संस्थाओं को	• जिलाधिकारी	दिनांक 01 अगस्त, 2023 से दिनांक 31

I/132910/2023

चरण	आंबटित किया जाना।	• उपजिलाधिकारी	अगस्त, 2023 तक।
पंचम चरण	गोशाला शरणालय का निर्माण	• अनुमोदन उपरांन्त गैर–सरकारी संस्था/ • जिलाधिकारी • शहरी विकास विभाग	दिनांक 01 सितम्बर, 2023 से दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक।
छष्ठ चरण	नये गोसदन की स्थापना एवं संचालन की शुरूआत	• अनुमोदित की गयी गैर–सरकारी संस्था	माह दिसम्बर से

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन हेतु उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Basava Venkata Rana Chandra Purushottam
Date: 26-06-2023 16:09:12

(डी0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव।